

**कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)**

क्रमांक : 3691-3734

दिनांक : 21/10/2023


**-: कार्यालय आदेश :-**

मैं मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **नवम्बर, 2023** में पडने वाले विभिन्न राजपत्रित अवकाशों के लिए कोटा न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करती हूँ। निम्नांकित अधिकारीगण अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

कोटा मुख्यालय			
क्र.सं.	अवकाश तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नंबर
1	05.11.2023	श्रीमती मनदीप, न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-1 (उत्तर), कोटा	9462577987
2	09.11.2023	श्री लोकेन्द्र चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 (उत्तर), कोटा	9413203697
3	10.11.2023	श्री दिव्य मोहन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (दक्षिण), कोटा	8112259184
4	11.11.2023	श्रीमती मनीषा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 (उत्तर), कोटा	8980520737
5	12.11.2023	श्री रजत गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 (दक्षिण), कोटा	9737824150
6	13.11.2023	श्रीमती कुसुम मीणा, ए.सी.जे.एम. नंबर - 2 कोटा	8287764226
7	14.11.2023	श्रीमती कुसुम मीणा, ए.सी.जे.एम. नंबर - 2 कोटा	8287764226
8	15.11.2023	श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान, ए.सी.जे.एम. नंबर - 6 कोटा	9828146819
9	19.11.2023	सुश्री प्रियंका मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (उत्तर), कोटा	7727873999
10	25.11.2023	श्री आयुष गुप्ता, विशिष्ट न्या. मजि., (एन.आई.एक्ट) क्रम-1 कोटा	9911281892
11	26.11.2023	श्री आयुष गुप्ता, विशिष्ट न्या. मजि., (एन.आई.एक्ट) क्रम-1 कोटा	9911281892
12	27.11.2023	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा II, न्यायिक मजि. क्रम-3 (उत्तर), कोटा	8619029453

**नोट:-**

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रांत:कालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।**

  
(मनीषा शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
कोटा (राजस्थान)